रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

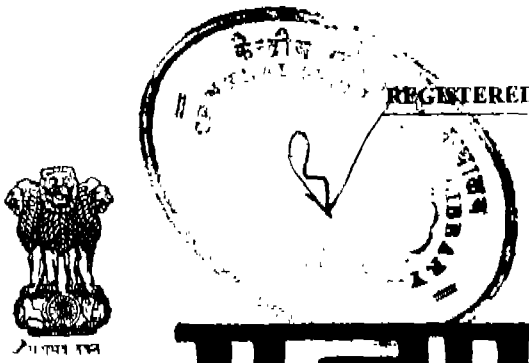

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 1982/माघ 16, 1903

No. 33] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 1982/MAGHA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1982

सा. का. नि. 44(अ) .—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 282 तारीख 25 फरवरी, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2—खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 14 मार्च, 1981 पृष्ठ 679-680 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख से 90 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व जिसको उस राजपत्र की जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 14 मार्च, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (प्रथम संशोधन) नियम, 1982 है ।

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के (जिसे इसमें पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम- 1955 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ।) नियम 42 के नियम (फ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(ब) परिष्कृत तेल के प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् :—

["परिष्कृत (तेल का नाम) तेल"।

परन्तु यह कि आयातित खाद्य तेल के आधान पर

"आयातित" शब्द भी उपसर्ग के रूप में लिखा होगा" ।

3. उक्त नियमों के नियम 49 के उप-नियम (12) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(13) नारियल के तेल के सिवाय अशोधित, कच्चे या अपरिष्कृत रूप में आयातित सभी खाद्य तेलों का मानवीय उपभोग के लिए विक्रय किए जाने से पूर्व परिष्करण किया जाएगा । ऐसे तेलों पर नियम 42(ब) में यथा अधिकथित लेबल घोषणा लगाई जाएगी ।" ।

[फा. सं. पी. 15011/105/78-पी. एच. (एफ. एण्ड एन.) पी. एफ. ए.]

आर. के. सिंघल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 1982

G.S.R. 44(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), with the Notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 282, dated the 25th February, 1981, at pages 679-680 of the Gazette of India, Part II—Section 3, Sub-section (i), dated the 14th March, 1981, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 90 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 4th March, 1981 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 23 of the said Act, the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely ;

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (I Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into Force after six months from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 42, after rule (V), the following shall be inserted, namely ;

"(W) Every container of refined vegetable oil shall bear the following label, namely :—

"Refined (Name of the oil) Oil"

Provided that the container of imported edible oil shall also bear the words, "IMPORTED", as prefix".

3. In rule 49 of the said rules, after sub-rule (12), the following shall be inserted, namely :—

"(13) All edible oils, except coconut oil, imported in crude, raw or unrefined form shall be subjected to the process of refining before sale for human consumption. Such oils shall bear a label declaration as laid down in Rule 42 (W)".

[F. No. P. 15011/105/78-PH(F. & N)PFA]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982